

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

सूचना संख्या 7 (2)(70)राछ/सान्याअवि/21/ 6246

क्रमांक : एफ 7 (2)(70)राछ/सान्याअवि/21/ 6246

जयपुर, दिनांक 1/4/2021

आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट 2020-21 सामान्य धाद-विवाद के बिन्दु संख्या 18 में "राजकीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु छात्र-छात्राओं की पात्रता की सीमा बढ़ाकर परिवार की वार्षिक आय 8.00 लाख रुपये तक की जायेगी, तथा जिनके माता-पिता राज्य सरकार के कर्मचारी, जो लेवल-11 तक वेतन प्राप्त कर रहे हैं, जो भी यह सुविधा उपलब्ध होगी" की घोषणा की गई है।

बजट घोषणा की पालना में राजकीय छात्रावासों हेतु राजकीय एवं अनुदायित छात्रावास संचालन नियम, 2012 के धियम 6 के बिन्दु संख्या (IV) में संशोधन कर एवं आवासीय विद्यालयों हेतु विभागीय आदेश क्रमांक एफ 1(A)(140)/रथा/राईस/सान्या/2019/4306 दिनांक 10.07.2019 में संशोधन कर छात्र-छात्राओं के परिवार की वार्षिक आय 8.00 लाख रुपये के अतिरिक्त जिन छात्र-छात्राओं के माता-पिता राज्य सरकार के कर्मचारी हैं एवं लेवल-11 तक (अधिकतम 8.00 लाख रुपये वार्षिक) वेतन प्राप्त कर रहे हैं, विभागीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

शेष शर्तें यथावत रहेंगी। उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

3
01/04/2021
(ओ.पी. बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ 7 (2)(70)राछ/सान्याअवि/21/ 6247-59 जयपुर, दिनांक 1/4/2021

प्रतिनिधि :-

1. संयुक्त सचिव (एसएके), माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. जिजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. जिजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
5. जिला कलक्टर (समस्त)
6. जिजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)/अतिरिक्त निदेशक (राईस) मुख्यावास।
7. जिजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
8. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने एवं प्रवेश पोर्टल पर उक्तानुसार प्रावधान करवाने हेतु।
9. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को इस सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने हेतु।
10. सहायक निदेशक (छात्रावास), मुख्यावास।
11. उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
12. प्राचार्य राजकीय आवासीय विद्यालय (राईस)
13. आदेश पत्रावली।

01/04/2021
(अनुपम कायल)

अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)